खण्ड: 4, अंक: 8 अगस्त 2021

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

स्वाधीनता का अमृत महोत्सव
भारत@75

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक

प्रो. सुनील के चौधरी

संपादकीय मंडल

डा. रमेश भारद्वाज
डा. संध्या वर्मा
डा. महेश कौशिक

डा. अभिषेक नाथ
आशीष कुमार शुक्ला
राम किशोर

© डीसीआरसी 2021

रूपाकंनः काजल

संश्लेषण

स्वाधीनता का अमृत महोत्सवः भारत @ 75

अनुक्रमिका

संपादकीय i

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष हेतु अमृत महोत्सव – डा० अमित अग्रवाल 1–6

2. स्वाधीन भारतवर्ष के पचहत्तर वर्षः उत्कर्ष या अपकर्ष – डा० महेश कौशिक 7–11

3. स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरणः मूल्यांकनात्मक – प्रीति शर्मा 12–17

4. स्वर्णिम व भविष्यिक भारतः वैश्विक पटल की ओर – सृष्टि 18–21

5. अभिनव महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना – काजल 22–26

संपादकीय

किसी भी शोध केंद्र की महत्ता उसमें किए जाए वाले शोध लेखन की गुणवत्ता, निरंतरता एवं समसामयिकता में परिलक्षित होती है। लगभग तीन वर्षों की अपनी दीर्घ शोध यात्रा में संश्लेषण के इस 37वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। समसामयिक विषयों से प्रेरित संश्लेषण का यह अंक केंद्र से समाज विज्ञान के विद्यार्थियों व शोधार्थियों को उत्तम लेखन की दिशा में प्रेरित करने हेतु एक उत्कृष्ट प्रयास है।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ भारत समस्त भारतीयों के लिए नव–आकांक्षाओं का प्रतीक था। पराधीनता के सैकड़ों वर्षों में अपने स्वर्णिम अतीत को न्यूनाधिक रूप में विस्मृत कर चुके भारतीयों के लिए यह उस अतीत तथा उससे संबद्ध सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्जीवित कर, एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होने का अवसर था। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नेतृत्व तथा नागरिकों द्वारा निरंतर भारत को पुनः उसी रूप में स्थापित करने का उद्देश्य दोहराया गया जिसमें उसे विश्व–गुरु माना जाता रहा है।

भारत आज अपनी स्वतंत्रता के स्वर्णिम 75 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा पूरे देश में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। देश के भीतर व बाहर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व को भारत की स्वतंत्र अस्मिता तथा इस अस्मिता को प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्षण में वैश्विक अध्ययन केंद्र ''पूर्ववर्ती विकासशील राज्य शोध केंद्र'' दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस गरिमामयी महोत्सव में स्वयं को सम्मिलित करते हुए अपनी हिंदी शोध पत्रिका संश्लेषण के माध्यम से स्वाधीन भारत के विविध पक्षों पर लेखों का समुच्चय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

स्वतंत्र चिंतन पर आधारित प्रस्तुत समस्त लेख मौलिक एवं सृजनात्मक प्रकृति के हैं। इस अंक पर आप सभी सुधी पाठकों की गंभीर प्रतिक्रियाओं व सुझावों के आधार पर हम सितंबर माह के समसामयिक एवं महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल — मंगलवार, 14 सितंबर 2021

1

स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष हेतु अमृत महोत्सव

डॉ. अमित अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), राजकीय महाविद्यालय, रज़ानगर, रामपुर

आजादी की कभी काली रात न होने देंगे,
आजादी की सबुह हर रोज जगमग हो।
आजादी शहीदों का लहू देकर पाई हमने,
शहीदों की कुर्बानी का लहू व्यर्थ न होने देंगे।
बचा है जब तक एक भी कतरा लहू का रगों में,
भारत माता तेरा आँचल मैला न होने देंगे।

15 अगस्त 1947 को भारत, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था इसलिए 75 वर्ष पश्चात् 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता प्राप्ति की वर्षगाँठ पर जयंती होगी। स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ को भारत सरकार 'स्वाधीनता का अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रही है। ध्यान देने की बात ये भी है कि 15 अगस्त 2022 भारत का 76 वां स्वतंत्रता दिवस होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75 वीं वर्षगांठ से एक वर्ष पुर्व प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, 2021 को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से 'दांडी मार्च' को हरी झंडी दिखाकर' स्वाधीनता का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन किया अर्थात् 12 मार्च 2021 से इन कार्यक्रमों को शुरुआत हो गयी जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023, 78 वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को जानने और मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। 17 सितंबर 2021 तक चलने वाले शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के शिक्षकों को संबोधित किया। यह समारोह हमारी स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पुर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 'स्वाधीनता का अमृत' के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है।

स्वाधीनता के आंदोलन के इतिहास की तरह ही स्वाधीनता के पश्चात् के 75 वर्षों की यात्रा, सामान्य भारतीयों के परिश्रम, नवाचार, उद्यम–शीलता का प्रतिबिंब है। लोकतंत्र की जननी भारत, आज भी लोकतंत्र को सुदृढता प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान–विज्ञान से समृद्ध भारत, आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सार्म्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, विश्व में आकर्षण का केंद्र बना है, विचार–विर्मश का विषय है। आज विश्व के प्रत्येक मंच पर भारत की क्षमता और प्रतिभा की

गूंज है। आज भारत अभाव क
के लिए आगे बढ़ रहा है।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित गतिविधियाँ

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

स्वाधीनता के पश्चात् से शिक्षकों की उभरती

प्रतियोगिताएं/सेमिनार/साइकिल रैलियाँ
स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पर फोकस करेगी

स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के लोगो के साथ विशेष स्कूल बैज

वास्तुकला

प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए ''स्वतंत्रता

एक भारत श्रेष्ठ भारत

मॉड्यूल का शुभारंभ

सोशल मीडिया पर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और इस अवसर पर कला/शिल्प, संगीत, नृत्य आदि के कार्य।

एक भ

प्रतियोगिता

एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 31 अक्टूबर

(ख) उच्च शिक्षा विभाग

माध्यम से 75 लाख छात्रों/लोगों द्वारा ऑडियो के

जाएंगे।

भारतीय स्वतंत्रता के 75 कम ज्ञात नायक

विश्वविद्यालयों और महाविश्वविद्यालयो को सम्मिलित करते हुए निबंध प्रतियोगिताओं/साइकिल रैलियों का आयोजन।

एनबीटी स्वतंत्रता सेनानियों पर 75 पुस्तकें प्रकाशित करेगा

विभिन्न शहरों/स्थानों में 75 उच्च शिक्षा संस्थानों को ''ग्लू ग्रांट'' का उपयोग करके 9 शिक्षा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली को एचईआई के पाठ्यक्रम के साथ एकीकृ

विश्वविद्यालयों में विभागों द्वारा उ

का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी

करना

रत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय में विभाग अमृत महोत्सव बनाने के लिए विभिन्न

दीर्घकालिक कार्यक्रम है। 21 वीं शताब्दी में जन्म लिए युवा भारत के इतिहास और ा से
` दौर में हमारे युवा भारतीय संस्

रहे हैं और वे स्वाधीनता
कारक निम्नलिखित हो सकते हैं:

- भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान को युवा विद्यार्थियों और जनता तक पहुँचाना।
- भारत के प्रमुख स्वतंत्रता स्थलों और उनके योगदान को युवा विद्यार्थियों और जनता तक पहुँचाना।
- भारत के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन/संग्राम/घटना और उनके योगदान को युवा विद्यार्थियों तथा जनता तक पहुँचाना।
- विद्यार्थी और जनता स्वतंत्रता के मूल्यों को आत्मसात कर सकें विशेषकर राष्ट्रभक्ति।
- विद्यार्थी और जनता समझ सके कि भारत को किस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त हुई।
- स्वाधीनता के लिए कितने व्यक्तियों को अपना बलिदान करना पड़ा।
- स्वाधीनता के लिए भारतीय द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए इसकी जानकारी विद्यार्थी और जनता को मिल सके।
- स्वाधीनता का दुरुपयोग सामान्य नागरिक ना करें और भारतीय संविधान और भारतीय मूल्यों के अनुसार आचरण करें।
- जन जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाई गई हैं जिससे कि सामान्य जनता इस महोत्सव से जुड़ सके।

भारत में अमृत महोत्सव के प्रमुख विचार–विर्मर्शीय बिन्दु

- चौरी–चौरा घटना– 1922

1920 मे गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन आह्वान किया था। यह घटना पर 4 फरवरी 1922 की है जिसमें गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के पास स्थित चौरी चौरा स्थान पर एक हिंसात्मक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे चौकी के अंदर फँसे 23 लोगों की मृत्यु हो गई। गाँधी जी को इस घटना से गहरा आघात पहुँचा और उन्होने असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर दी।

- अमृतसर का जलियांवाला बाग नरसंहार– 1919

13 अप्रैल 1919 (बैसाखी के दिन) को 20,000 लोगों की एक भीड़ इस छोटे से पार्क में एकत्र हुई थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने आसपास के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया।

- खेड़ा (गुजरात) सत्याग्रह– 1918

गांधीजी ने अकाल की स्थिती से गुजर रहे कृषकों के सहायता के लिए इसे शुरू किया था। अंत में सरकार ने कर वसूली वर्ष भर के लिए निलंबित कर दी ।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन– 1929

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर दिसम्बर 31, 1929 की आधी रात को जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज

फहराया था। यहीं की कोट लखपत जेल में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था।

- भारत छोड़ो आन्दोलन या अगस्त क्रांति बम्बई– 1942

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अगस्त 1942 को शुरू हुए ऐतिहासिक बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो और करो या मरो का आह्वान किया। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और 09 अगस्त 1942 को प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति में अरुणा आसफ अली ने गोवालिया टैंक मैदान, में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था ।

- चंपारण सत्याग्रह– 1918

कृषकों को अलाभकारी नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने गांधीजी से कृषकों की समस्या का समाधान करने का आह्वान किया था। गांधी जी ने प्रथमतया अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने यहाँ के गांवों का दौरा किया और 1918 में चंपारण कृषि कानून पारित करने के लिए सरकार को मजबूर किया ।

- पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान राजधानी)

सर्वप्रथम्, ब्रिटिश ने विशाल सेलुलर जेल का निर्माण किया। भारतीय कैदियों को, विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों को इस जेल में रखा जाता था और यह सजा काला पानी के नाम से जानी जाती थी। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल और विनायक दामोदर सावरकर दोनों ने सेलुलर जेल में सजा काटी थी। पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसे भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय घोषित किया था।

- बारदोली आंदोलन– 1925

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया जिसके अंतर्गत कृषको ने संपत्ति जब्ती के संकट के बावजूद करों का भुगतान करने से अस्वीकृत कर दिया। अंत में सरकार ने बढ़ाए करों को वापस ले लिया। वल्लभभाई पटेल को इस सत्याग्रह से सरदार का खिताब प्राप्त हुआ।

- काकोरी काण्ड– 1925

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित जगह जहाँ पर प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान व अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के धन ले जाने वाली एक ट्रेन को रोका और लूट लिया।

पुणे में 24 सितंबर, 1932 को डॉ बी. आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध पूना संधि पर यरवदा जेल में ही हस्ताक्षर किए थे। यहीं पर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। 1942 में जब

गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, तब उन्हे गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में कैद किया था।

- नागपुर का झंडा सत्याग्रह

नागपुर स्वंत्रता संग्राम के दौरान झंडा सत्याग्रह के लिए जाना जाता है जिसकी सफलता का श्रेय दिया सरदार पटेल के नेतृत्व को दिया जाता है।

- 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

1857 की क्रान्ति की शुरूआत '10 मई 1857' को मेरठ मे हुई थी। आंदोलन में मुख्य भूमिका मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब इत्यादि की थी। यह विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।

- भारत छोड़ो आंदोलन– 1942

8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरु किया। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त करना था और 'करो या मरो' का वक्तव्य दिया। यह आंदोलन 'अगस्त क्रान्ति' के नाम से भी जाना जाता है।

भारत को अगस्त 1947 में शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के नागरिकों की कठिन परिश्रम, त्याग और निस्वार्थता के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अमृत महोत्सव से भारत के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग तैयार होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है– 'सम–दुःख–सुखम् धीरम् सः अमृतत्वाय कल्पते'। अर्थात् जो सुख–दुःख, आराम चुनौतियों के मध्य भी धैर्य के साथ अटल अडिग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। आइए, हम सब दृढ़ संकल्प होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएँ। अतीत से सीखकर भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे युवाओं को ही उठानी है। चिकित्सा क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कला या संस्कृति क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अपने क्षेत्र का कल, आने वाला भविष्य, उत्तम कैसे हो इसके लिए प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है, 130 करोड़ देशवासी स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव से जब जुड़ेंगे, लाखों स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा लेगे। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व को नई दिशा दिखा देगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि हम 15 अगस्त 2023 के निकट पहुंचेंगे तब तक यह ऐसा बड़ा महोत्सव बन जाएगा कि संपूर्ण भारत को अपने में समेट लेगा।

♦♦♦♦♦

संदर्भ–सूची

- https://amritmahotsav.nic.in/
- https://www.education.gov.in/azadi/
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1704448

2

स्वाधीन भारतवर्ष के पचहत्तर वर्षः उत्कर्ष या अपकर्ष

डॉ. महेश कौशिक

अध्येता, वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतवर्ष स्वाधीनता के पचहत्तर वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में यह अवलोकन महत्वपूर्ण हो जाता है कि पचहत्तर सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्र आज कहाँ खड़ा है। और यहाँ से आगे की उसकी राह क्या हो सकती है। निश्चित रूप से स्वाधीनता के पचहत्तर वर्षों में चलते हुए विकास की दृष्टि से हम बहुत आगे आये हैं किंतु क्या यह समय की दृष्टि से पर्याप्त है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का समय सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। भारत भी इस क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट 90 प्रतिशत बढ़कर 19,764 करोड़ रूपये हो गया है। इसी भांति जैव प्रौद्योगिकी विभाग का बजट भी 65 प्रतिशत बढ़ गया है। संपूर्ण विश्व में इस क्षेत्र के माध्यम से भारत की एक नई पहचान बनी है।

भारतवर्ष स्वतंत्रता पूर्व भी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी देश की लगभग अर्ध कार्यशील जनसंख्या कृषि या सम्बन्धित क्रियाकलापों से ही आजीविका प्राप्त करती है। इसलिए हमारे आर्थिक विकास की राह कृषि सुधारों से ही निकलती है। सरकार भी इस तथ्य को भली भांति समझती है इसी कारण से कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वर्तमान में 40 मिलियन से अधिक कृषकों को मौसम विज्ञान परामर्श देता है। इससे कृषि उत्पादन को बढाने में सहायता मिली है। जून 2018 से पृथ्वी मंत्रालय ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक 'इन्सेम्बल मौसम पूर्वानुमान' प्रणाली आरम्भ की है। अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भी भारत नित नई ऊँचाइयों को छू रहा है। 1962 से जो कार्यक्रम आरम्भ हुआ था आज वह सफलता का वृतातं लिख रहा है। भारत के उपग्रहों को लॉन्च करने की दर लगभग 90 प्रतिशत है। इसरो ने 2025 तक के अपने कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। स्वच्छ ऊर्जा मिशन के अंतर्गत भारत 23 देशों के मिशन इनोवेशन नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। युवाओं में उदयमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए 5000 स्टार्ट अप्स को और 200 इन्क्यूबेटर को सरकारी सहायता प्रदान की गई है। बच्चों में सृजनात्मक प्रवृत्ति और नवाचार को विकसित करने के लिए कक्षा छटी से कक्षा दसवीं के छात्र–छात्राओं के लिए मानक कार्यक्रम लांच किया गया। पिछले तीन वर्षों में ही अनुसंधान और

विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़कर दोगुना हो गया है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय भारतीय मूल के 600 वैज्ञानिकों को देश में वापस लौटाने में सफल हुआ है जिससे कि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसके साथ–साथ भौतिक प्रणाली, सुपर कम्प्यूटिंग, स्पेस विज्ञान, बायोफर्मास्यूटिक्लस एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में भारत महत्वाकंक्षी योजनायें आरम्भ कर रहा है।

समूचे विश्व के साथ–साथ भारत भी पिछले दो वर्षों से कोरोना से जूझ रहा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अकल्पनीय रूप से भयानक समय रहा है जिसकी छाया अभी भी बनी हुई है। किन्तु इस कठिन समय में भी भारत ने अपनी तकनीकी, राजनितिक एवं आर्थिक क्षमता का परिचय संपूर्ण विश्व को दिया। हमने न केवल अपने देश के 130 करोड़ लोगों को अपने साम्थर्य पर वैक्सीन देने का संकल्प किया अपितु अनेक देशो को संकट के इस समय में वैक्सीन उपलब्ध करवाकर अपनी छवि विश्व में ऐसे देश की बनाई जो विपत्ति के समय सभी की सहायता के लिए तैयार रहता है। 31 अगस्त, 2021 को हमने एक ही दिन में 1.33 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन देकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। इस समय तक देश की अर्घ से अधिक जनसँख्या को वैक्सीन लग चुकी है। धीरे–धीरे अर्थव्यवस्था कोविड–19 से उत्पन्न मंदी की स्थिति से बाहर आ रही है।

अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र निर्माण कार्यृ तथा विनिर्माण क्षेत्र अपनी संवृद्धि की गति को पकड़ रहे हैं। जहाँ क्रमशः 68.3 प्रतिशत तथा 49.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी पिछली तिमाही में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर रही है। पिछले पचहत्तर वर्षों में ऐसी अनेक उपलब्धियाँ हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। और वह किसी एक सरकार के कार्यों का परिणाम नहीं हैं। हाँ, किसी सरकार द्वारा कम तो किसी सरकार द्वारा अधिक योगदान अवश्य हो सकता है। किन्तु इसी प्रकार सभी सरकारें अभी तक की असफलताओं के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। आज स्वाधीनता के पचहत्तर वर्ष के पायदान पर खड़े भारतवर्ष के लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से जो दूरी पचहत्तर वर्षों में तय की है क्या वह पर्याप्त है? स्वतंत्रता पूर्व जिस भारतवर्ष की कल्पना करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दी थी क्या हम वैसे ही भारत का निर्माण कर रहे हैं? क्या हमारी दिशा और दशा दोनों समय की दृष्टि से सही हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर आज तक अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं किन्तु यह समस्याएँ दिन पर दिन और अधिक विकराल रूप लेती जा रही हैं। निर्धनता उनमें सबसे पहले आने वाली समस्या है।

आज भी देश के अनेक राज्यों में निर्धनता के आंकड़े चिंता उत्पान करने वाले हैं। वर्ष 2011–12 के लिए 2014 में योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गए अनुमानों के अनुसार 30.9 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे (स्रोतः pib-gov-in)। निर्धनता रेखा की हमारी

परिभाषा में हमने केवल दो समय का भोजन ही रखा है। इस आधार पर भी जिस देश के 35 करोड़ लोग दो वक्त का भोजन तक प्राप्त न कर पा रहे हों उनके लिए स्वाधीनता का महोत्सव अमृत के सामान कैसे हो सकता है उनके लिए जीवन पहले भी विषपान था और आज भी वही है। प्रायः इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपयी जी ने कहा था कि कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो पंद्रह अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। निर्धनता को खाद–पानी देकर सींचने वाली दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है बेरोज़गारी। सी एम् आई ई के प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना–काल में बेरोज़गारी की स्थिति और भी अधिक खराब हुई है। देश में बेरोज़गारी की दर फरवरी माह में 7.78 प्रतिशत हो गई थी जो अक्टूबर, 2019 के बाद अब तक सबसे अधिक है।

मई, 2021 में यह बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गई थी जो स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए पर्याप्त है। शहरी क्षेत्र में यह 13.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह 10.6 प्रतिशत रही। हरियाणा जैसा राज्य जो कि औधोगिक विकास के लिया जाना जाता वह बेरोज़गारी के संबंध में नंबर एक पर आ गया। यहाँ 35 प्रतिशत लोग बेरोज़गार हो गए। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछली तिमाही में रिकॉर्ड वृद्धि के पश्चात् भी आज हमारी अर्थव्यवस्था दो वर्ष पूर्व की स्थिति में ही पहुँच पाई है (स्रोतः– न्यूज़ 18 डॉट कॉम)। अर्थात् हम 2019 की तुलना में ही दो वर्ष पीछे चल रहे हैं। रोज़गार बढ़ने की सम्भावना अभी भी कम ही है क्योंकि उधोयोगपतियों, निवेशकों और व्यापारियों का विश्वास अभी वापस नहीं लौटा है। इन्हीं दोनों समस्याओं का परिणाम है कि भारत विश्व भुखमरी सूचकांक (GHI) में 27. 2 अंकों के साथ 107 में से 94 वें स्थान पर है (स्रोतः–ग्लोबल हंगर इंडेक्स डॉट ऑर्ग)।

हमसे नीचे अफगानिस्तान, सूडान और नाइजीरिया जैसे देश ही हैं। किन्तु चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है जो कि अधिक वीभत्स है। जहाँ एक ओर कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी वहीं दूसरी ओर जो देश का धनी वर्ग था उसकी सम्पत्ति में कोई कमी नहीं आई अपितु वह और भी अधिक बढ़ गई इससे पहले से चली आ रही धन व् संपत्ति की विषमता की खाई और अधिक चौड़ी हो गई। निर्धन और धनाढ़य के मध्य की इस खाई को बढ़ाने में भ्रष्टाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। भ्रष्टाचार जैसे हम भारतीयों की नस–नस में रक्त की भांति बहने बहने लगा है। लालफीताशाही, अफसरशाही और भ्रष्टाचार जैसे रोग प्रशासन में लगे हैं वह इसकी समृद्धि को दीमक भांति चाट रहे हैं। सामान्य व्यक्ति आज नगर निगम से लेकर जल विभाग, पुलिस विभाग बिजली विभाग और शिक्षा विभाग तक भ्रष्टाचार से त्रस्त है। सरकारी अधिकारियों में कानून का जैसे कोई भय ही नहीं है। भ्रष्टाचार ने जिस समस्या को आगे बढ़ाया है वह है आय व् धन की विषमता का बढ़ते जाना। धनी और निर्धन वर्ग के मध्य का अंत लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना–काल में यह और भी बढ़ गया है। कोरोना संकट से देश

जो उभर रहा था उसे टु शेप्ड रिकवरी पहले कहा जा रहा था। किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में देश के 100 अरबपतियों की सम्पत्ति लगभग 13,000 करोड़ रूपये बढ़ गई है। इसलिए इसे अब त्री शेप्ड रिकवरी कहा जा रहा है। यद्धपि हमने एक ही दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है किंतु फिर भी कोरोना की तीसरी लहर के आने आशंका को सिरे से नहीं नकार सकते। 31 अगस्त को ही देश भर में 30,941 नए केस सामने आये हैं जो कि चिंता का विषय है। दूसरी लहर के आने के समय की लापरवाही के भयावह परिणाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इसलिए अब किसी भी प्रकार की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए।

आज हमारे पास सशक्त सरकार है जो किसी भी प्रकार का साहसिक निर्णय लेने में समर्थ है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से आज तक चल रही अनेक समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जिनका देश के सामजिक–आर्थिक परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि सुधार के लिए बनाये गए तीन नए कानून इसका नवीनतम उदाहरण हैं जिनका कृषकों के तथाकथित संगठनों द्वारा विरोध करने के पश्चात् भी सरकार ने उन्हें वापस नहीं लिया है। केवल देश के अंदर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी भारत की एक सशक्त राष्ट्र की छवि बनी है जो अपनी सम्प्रभुता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करता है। कोरोना संकट के समय नागरिकों की सुरक्षा हो या अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवाद के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की बात हो सरकार ने सूझ–बूझ के साथ साहसिक निर्णय लेकर समूचे विश्व को संदेश दिया है।

किंतु अभी सरकार को प्रशासन को कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बहुत कार्य करना है। तभी देश के अपने नागरिकों और विदेशी निवेशकों का विश्वास सरकार पर बनेगा और तभी सभी लोगों का सहयोग राष्ट्रीय विकास में मिल पायेगा जो कि तीव्र आर्थिक विकास की आधारभूत शर्त है। अभी सरकार को जनसँख्या से लेकर भ्रष्टाचार तक को नियंत्रित करके संवृद्धि और विकास में सभी नागरिकों को भागीदार बनाना है। बेरोज़गारी और निर्धनता जैसी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग तभी सुगम हो सकेगा। वास्तव में स्वाधीन भारत को अपकर्ष से उत्कर्ष तक ले जाने का सही मार्ग भी यही है।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ–स्रोत**
- https://www.amarujala.com/podcast/india-news/apka-sandesh/75-achievments-of-india-on-75th-independence-day
- https://www.globalhungerindex.org/india.html
- https://hindi.news18.com/news/business/unemployment-rate-high-in-haryana-delhi-rajasthan-goa-and-jharkhand-during-corona-lockdown-in-may-2021-by-cmie-dlg-3603959.html

3

स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरणः मूल्यांकनात्मक अध्ययन

प्रीति शर्मा

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

"कोई भी देश व समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता
जब तक नारियाँ उपेक्षित, शोषित एवं पिछड़ी रहेंगी"....

इस लेख में स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के कालखंड के दौरन भारतीय महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है। स्वतंत्रता पश्चात् उपलब्ध आँकड़ों की सहायता से महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अप्रैल 1952 से लेकर सितंबर 2021 तक लोक सभा और राज्य सभा में महिला सदस्यों की संख्या, राज्य के मुखिया और केंद्र सरकार के शीर्षस्थ पदों पर आसीन महिलाओं का अध्ययन किया गया है। तद्पश्चात् विभिन्न राज्यों व केंद्र–शासित प्रदेशो में महिला मुख्यमंत्रियों के माध्यम से तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं के सांखियिक उपस्थिती से महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का आंकलन किया गया हैं। इसमें प्रक्रियात्मक सशक्तिकरण कहा जाएगा ना कि वास्तविक सशक्तिकरण क्योंकि उनके कर्तव्यों के निर्वहन, निर्णय लेने कि क्षमताओं, प्रशासनिक कौशलों आदि का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया।

शब्द्कोश.कोम के अनुसार, "माहिला सशक्तिकरण, महिलाओं में स्वायत्ता और आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ाने के लिए ड़िजाइन किए गए उपायों का एक सेट है। जिससे कि वे अपने स्वयं के अधिकारो पर कार्य करने के लिए एक जिम्मेदार और स्व–निर्धारित माध्यम से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। अर्थात् महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लेंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को महिला सशक्तिकरण कहा गया हैं।" वास्तविकता में जब महिलाएं पारावारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व अनेकों अदृश्य बंधनों से उपर उठकर स्वयं के लिये निर्णय लेने लगे और अपनी प्रतिभा व क्षमताओं की पुर्ति करने लगे तो वे सशक्त कह्लायेंगी।

उपर्युक्त पंक्तियों से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता व लाभ का ज्ञान होता है। वास्तविकता में विश्व, किसी देश या किसी समाज की अर्ध जनसंख्या को नजरअंदाज करके किसी देश या किसी समाज के उत्थान व सर्वागीण विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते है। समाज की अर्ध जनसंख्या को शारारिक व मानसिक रुप से पंगु रखकर एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर बल दिया गया है। तो क्या ये न्यायसंगत नहीं होगा की महिलाओं को भी समाज में सम्मान मिले, और इसके लिये आवश्यक है की महिलाएं भी

आर्थिक व राजनैतिक दष्टि से सुदृढ हो। वास्तविकता में महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण उनके सर्वांगीण सशक्तिकरण का पथ प्रशस्त करता है। निर्णायक पदों पर आसीन होने व निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के फलस्वरुप महिलाएं अपने जीवन से जुड़े विषयों को सकारात्मक दष्टि से प्रभावित कर सकती है।

महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण के मापदंडों में उनका मताधिकार, राजनैतिक पार्टी निर्माण, चुनाव लड़ने का अधिकार, विधान मंडल, विधान परिषद् व स्थानीय शासन मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, रोजमर्रा के जीवन मे निर्णय लेने कि प्रक्रिया में सहभागिता, विभिन्न मंत्रिपदो को ग्रहण करने से लेकर सरकार व राज्य के शीर्षस्थ पदों पर पहुँचना आदि सम्मिलित है। इस दष्टि से देखा जाये तो जनसंख्या के समय संविधान सभा में निर्वाचित 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थीं। ये 15 महिलाएं थी विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, रेनुका रे, दकश्यानी वेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी व एनी मसकैरिनी। विशेष बात यह कि ये सभी महिलाएं देश के भिन्न–भिन्न राज्यों से आती थी। इन महिला सदस्यों ने महिला अधिकारों से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों व बंधुआ मज़दूरों के विषयों को सुदृढ रूप से सभा पटल पर रखा और विभिन्न अवसरों पर मुख्य बदलाव करवाएं। दकश्यानी वेलयुद्धन तो अस्पृश्यता को गैर–कानूनी बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख लाई थीं।

महिलाओं को मत देने का अधिकार तो 26 जनवरी 1950 को भारत में वयस्क मताधिकार लागू होने के साथ ही मिल गया था। इसका एक लंबा इतिहास है। ''गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट 1935 के अनुसार केवल 13 प्रतिशत भारतीय जनता को मताधिकार प्राप्त था। आर्थिक व सामाजिक दष्टि से मजबूत नागरिक ही मत दे सकते थें। शनि (2018) के अनुसार, ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था की सार्वभौमिक मताधिकार भारत के लिए सही नहीं होगा। इतिहासकार गेराल्डिन फ़ोर्ब्स कहतीं है की भारत में महिला संगठनों को मताधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तब जाकर, बॉम्बे और मद्रास प्रांत में महिलाओं को सीमित तौर पर वोट देने का अधिकार साल 1921 में मिला। उसके पश्चात् सात अन्य प्रांतों में भी महिलाओं को मत डालने का अधिकार 1923 से 1930 के मध्य में मिला। शनि (2018) के अनुसार 1950 के आम चुनावों में करीब 28 लाख महिलाओं के नामों को वोटर लिस्ट से हटाना पड़ा कारण था की महिलाओं ने अपना नाम बताने से इंकार कर दिया, साथ ही उन्होंने स्वयं को किसी की मां, पत्नी, बेटी या किसी की विधवा के रूप में प्रस्तुत किया। पहले आम चुनाव में 173.2 मिलियन वोटरों में से 61.2 मिलियन वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिंग अनुसार मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं है। वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2019 के आम चुनावों 67.18ः महिला मतदाताओं ने वोट डाला (यदि डाक मतपत्रों को छोड़ दे तो)

स्वतंत्रता के पश्चात् से लेकर अब तक लोकसभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत उत्साह–वर्धक नहीं रही। 17 लोक सभाओ में कुल चयनित सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या व प्रतिशत नीचे बनी तालिका में दर्शाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रत्येक लोकसभा में कितनी

महिलाएँ कैबिनेट/राज्य/ डिप्टी मंत्री पद को प्राप्त करने में सफल हुई। इन 75 वर्षों में सबसे ज्यादा महिला सांसद सत्रहवीं लोकसभा(2019–24) में निर्वाचित होकर आई, जो कि चयनित सांसदों का 14.63ः है। इसी लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला मंत्री भी बनी है। छ्टी लोकसभा जो कि 1977–79 तक चली में सबसे कम 21 (3.77 प्रतिशत) महिला सांसद चुन कर आई थीं। अब तक 17 लोकसभा स्पीकरो ने लोकसभा के कामकाज का संचालन किया है जिनमें से दो महिला स्पीकर रही है। श्रीमती मीरा कुमार जिनका कार्यकाल जून 2009–जून 2014 रहा है वही श्रीमती सुमित्रा महाजन का कार्यकाल जून 2014–जून 2019 तक रहा। जबकि अब तक बने सत्रहा लोकसभा उपाध्यक्ष व महासचिव में कोई भी महिला नहीं रही है।

वर्तमान सरकार में 80 मंत्रियों में से 11 महिला मंत्री हैं। सत्रहवीं लोकसभा (2019–24) में ग्यारह महिला सांसदो को कैबिनेट, राज्य स्तरीय मंत्री बनाया गया है जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री है; स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री; साध्वी निरंजन ज्योति को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया; अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; शोभा करंदलाजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; दर्शन विक्रम जर्दोष कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; मीनाकाशी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री; रेणुका सिंह सरुतरू जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री; अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; प्रतिमा भौमिकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; डॉ भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। वही सरकार का नेता यानि प्रधानमंत्री का पद जिसपर देश ने वर्ष 1947 से 2021 तक 15 प्रधानमंत्री देखे है। इनमें से केवल एक ही प्रधानमंत्री महिला रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। जिनका कार्यकाल दो खंडों में विभाजित है पहला (1966–77) तथा दुसरा (1980–1984)।

लोकसभा	कुल सदस्य	महिला सदस्य /प्रतिशत	महिला सदस्य प्रतिशत %	महिला कैबिनेट/राज्य/ डिप्टी मंत्री
1952-57, प्रथम	543	24	4.41	2
1957-62, दूसरी	537	24	4.46	3
1962-67, तीसरी	540	37	6.85	8
1967-70, चौथी	553	33	5.96	5
1971-77, पाँचवीं	553	28	5.06	4
1977-79, छटी	557	21	3.77	4
1980-84, सांतवी	566	32	5.65	6
1984-89, आठवीं	567	45	7.93	10
1989-91, नौवीं	534	28	5.24	2

1991-96, दसवीं	*555*	*42*	*7.56*	*9*
1996-97, ग्यारहवीं	*551*	*41*	*7.44*	*3*
1998-99, बारहवी	*546*	*44*	*8.05*	*10*
1999-04, तेरहवीं	*568*	*52*	*9.15*	*7*
2004-09, चौदहवीं	*586*	*52*	*8.87*	*7*
2009-14, पंद्रहवी	*560*	*64*	*11.42*	*8*
2014-19, सोलहवीं	*573*	*68*	*11.86*	*7*
2019-24, सत्रहवीं	*540*	*79*	*14.63*	*11*

स्त्रोतः लोकसभा की वेबसाइट वस संसद की डिजिटल लाइब्रेरी

नोटः तालिका में विभिन्न लोकसभाओ में सीटों की संख्या ना देकर निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या दी गई है।

भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और देश का प्रथम नागरिक होता है साथ ही उसके पास तीनो सेनाओं की कमान होती है। स्वतत्रता पश्चात् देश के 14 राष्ट्रपतियों मे से केवल एक ही महिला थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली और इकलौती महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल रहीं थी।

वहीं यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यों की परिषद (सदस्यों की पदावधि) आदेश 1952 में, विभिन्न राज्यों के 216 सदस्यों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से पंद्रह महिला सदस्य थीं। 1952 से लेकर यह लेख लिखे जाने तक राज्यसभा में कुल 2116 सदस्य निर्वाचित हुए जिनमें महिला सदस्यों की संख्या 180 रहीं है जो की कुल सदस्यों का 8.5ः है। राज्यसभा के मौजूदा (सितम्बर 2021) 231 सांसदो में से 26 (11.25 प्रतिशत) महिला सांसद है। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार वर्ष 1952 से 2019 तक राज्य सभा के 13 अध्यक्षों में कोई महिला सम्मिलित नहीं है, जबकि राज्यसभा के 12 उप सभापतियों में तीन महिला है। राज्य सभा के 10 सचिवो में एक महिला सचिव रही है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के प्रमुखों की बात करे तो आजादी के बाद से अब तक सोलह महिला मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सुचेता कृपलानी थीं, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके पश्चात् कालानुक्रमिक क्रम में नंदिनी सतपथी ओडिशा की, शशिकला काकोडकर गोवा की, अनवारा तैमूर असम, वी. एन. जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु, जे जयललिता तमिलनाडु, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश, राजिंदर कौर भट्टल पंजाब, राबड़ी देवी बिहार, सुषमा स्वराज दिल्ली, शीला दीक्षित दिल्ली, सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम् बंगाल, आनंदीबेन पटेल गुजरात और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्य्मंत्री रही है। ममता बनर्जी भारत की एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री हैं।

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है की केंद्र की राजनीति मे महिलाओं की सह–भागिता उत्साहवर्धक नही है। और इस गति से देश की आधी जनसंख्या को अनुपातिक रूप से सत्ता में आने के लिए 75 वर्षो से अधिक का समय और लगे क्योंकि इसके लिए आवश्यक इच्छाशक्ति हमारे राजनैतिक दलों व राजनेताओं मे देखने को नहीं मिलती। इसके साथ पारावारिक व सामाजिक प्रोत्साहन और समर्थन की कमी का होना भी है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का जीता जागता उदाहरण महिला आरक्षण विधेयक या संविधान (108वां संशोधन) विधेयक की तात्कालिक स्थिति है। यह विधेयक राज्यसभा मे 9 मार्च 2010 को पारित हो चुका है। परंतु लोकसभा में इस विधेयक पर अभी तक मतदान नहीं कराया गया है। इसी कारण यह विधेयक संसद का लंबित बिल है। यह विधेयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक–तिहाई सीटों को आरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

ग्रामीण व शहरी स्थानीय सरकार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संख्यात्मक ढंग से बढ़ाने मे क्रमशरू 73वें व 74 वें संवैधानिक संशोधन की महत्वपूर्ण भुमिका रही है। दोनो ही संशोधन पंचायतों व नगरपालिकाओं में महिला उम्मीदवारों को कुल सीटों मे एक तिहाई आरक्षण देते है। फलस्वरूप ज़िला, ब्लॉक व ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी व निर्णय लेने की प्रक्रिया मे हिस्सेदारी बढ़ी है। सितंबर 2020 को पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 राज्यों ने अपने–अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50ः आरक्षण का प्रावधान किया है।

स्थानीय स्तर पर ये विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ–साथ उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सशक्तिकरण के पथ को प्रशस्त करते है। निस्संदेह महिलाओं की स्थिति मे गुणात्मक सुधार आने में समय लगेगा किंतु दिशा संतोषजनक कहीं जा सकती है। महिलाओं की दयनीय स्थिती जोकि पिछले पाँच हजारों सालों से चली आ रही शोषण से भरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है। पिछले 75 वर्षों में महिला गतिविधियों, महिला कानूनों, शिक्षा, सभ्य समाज ने माहिलो के विरुद्ध हिंसा को कम करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई है, साथ ही परिवार, रिश्तेदारी, समाज, आर्थिक, राजनीतिक, मीडिया जगत में महिलाओं के लिये मानवतापूर्ण व सम्मान–जनक माहौल बनाने में सह्योग दिया है।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची
- https://www.orfonline.org/hindi/research/chief-election-commissioner-india-commission/
- https://www.bbc.com/hindi/india-43154960
- http://loksabhaph.nic.in/Members/lokprev.aspx
- https://eparlib.nic.in/handle/123456789/782484?view_type=search
- http://loksabhaph.nic.in/Members/womenar.aspx?lsno=4&tab=12
- https://rajyasabha.nic.in/rsnew/publication_electronic/Selected%20Women%20Speech_Final.pdf
- https://feminisminindia.com/2018/01/26/15-women-draft-indian-constitution/
- https://rajyasabha.nic.in/rsnew/member_site/FormerMemSrch.aspx
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=*1658145*
- devi, d. s., & lakshmi, g. (2005). political empowerment of women in indian legislature: a study. the indian journal of political science, 66(1), 75–92.

4

स्वर्णिम व भविष्यिक भारतः वैश्विक पटल की ओर

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की श्रंखला के मध्य आज भारत अपने 75 वर्षों की यात्रा का पर्व मना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन दिए गए अपने उदघोष उद्बोधन में स्वाधीनता के 75 वर्षों के रेखांकन व मूल्यांकन के साथ–साथ समकालीन भारत की दशा एवं दिशा तथा आगामी भारत की एक विषद रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। इस बार, 15 अगस्त 2021 को भारत ने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए है, जिस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प व समावेशी विचारों से सम्पूर्ण भारत में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

यह दिवस असंख्य ज्ञात व अज्ञात राष्ट्र–वेदी पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले असंख्य लोगों के त्याग, परित्याग तथा बलिदान की परिणति का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन सभी महान व गौरवशाली विभूतियों को नमन किया गया है, जिनके कारण ही भूतकालीनता से समकालीनता तक का भारत ने अपने अस्तित्व को सुरक्षित, संरक्षित व संवर्धित करने मे सफल रहा है। भारत को यह अवसर उन सभी महान व महत्वपूर्ण विभूतियों द्वारा ही प्राप्त हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुरदृष्टिता के कारण प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त के दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप मे मनाये जाने का संकल्प है, जिससे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहे कि स्वाधीनता किन मूल्यों का परिणाम है। एक ओर जहां यह भारत की अनुपम, विशाल वैभव तथा महानता की गौरव–गाथा को दिगदर्शित करता है। दूसरी ओर वहीं यह अनेकों अत्याचारों, कुटिलताओं तथा विस्थापन की त्रासदी को प्रदर्शित करता है।

भारत की स्वतंत्रता तथा संप्रभुता के बारे में विचार–विमर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगामी 25 वर्षों की संकल्पना व अवधारणा "अमृत काल" के स्वरूप में की गई है। आगामी समय में आने वाले 25 वर्ष भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाईयों को छुने में सहायक सिद्ध होंगे। परंतु यह विचार करने योग्य तथ्य है कि भारत की भविष्यिक गतिविधियों का निर्धारण इन 25 वर्षों में आने वाली सरकारों की कर्ताव्य–निष्ठा तथा नवाचार व इच्छाशक्ति तथा सामर्थ्य द्वारा निर्मित नीतियों व कार्यनीतियों के माध्यम से ही संभवतः निश्चित हो पाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण कृषकों के प्रति भी अपनी गहन विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। शीघ्रता से बढ़ते शहरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण

प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का निरंतर कम होना तथा कृषि पर निर्भर कृषकों तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था हेतु संकटकालीन विषय है। जिसके लिए यह सर्वप्रथम आवश्यक है कि सरकार द्वारा कृषकों के लाभ व हित के लिए बनाई गई नीतियों व कार्यनीतियों तथा योजनाओ व परियोजनाओं का लाभ उन कृषकों तक आवश्यक रूप से पहुंचे और लाभ के साथ–साथ कृषकों के अधिकारों के साथ उनके अंदर जागरूकता को भी निर्मित किया जा सके।

मोदी जी की सरकार द्वारा कृषकों के लिए बनाई गई नीतियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नीति **Attracting and Retaining of Youth in Agriculture (ARYA)** है। इस नीति के अंतर्गत कृषि म युवाओं को आकर्षित करना तथा बनाए रखना है। ग्रामीण युवाओं में कृषि के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिए कृषि को अधिक लाभदायक बनाने की आवश्यकता है। युवाओं को कृषि में बनाए रखना तथा कृषि को अधिक लाभदायक बनाना इस प्रकार की कुछ गहन चुनौतियाँ है। ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्र को ओर पलायन बढ़ रहा है। इस प्रकार, यह महसूस किया गया कि सामान्य रूप से ग्रामीण युवाओं व विशेष रूप से कृषि युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक प्रतिमान लाया जाए, प्रायः देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि विकास में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया गया।

इसके साथ–साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु "सदाबहार क्रांति" **(Evergreen Revolution)** को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने "खाद्य सुरक्षा की संकल्पना से पोषण सुरक्षा" की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके लिए उनके द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी का समर्थन व सहारा लेने की बात कही गई।

अतः इस प्रकार नवीन कृषिगत तकनीकों एवं अनुसंधानों के माध्यम से वृहद प्रयोग तथा प्रशिक्षण के द्वारा कृषकों के जीवन–स्तर में सुधार किया जा सकता है। "सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास तथा अब सबका प्रयास" के वक्तव्य के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के सर्वांगीण, समावेशी तथा सर्वस्पर्शी समाज निर्माण एवं समाज विकास का प्रयास किया गया।

उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत तक अनेक योजनाएं भेदभाव व भ्रष्टाचार रहित समाज, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पोषण की पहुँच तथा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि इस वक्तव्य को ओर अधिक सुदृ ढ़ करेगी। स्किल इंडिया, मैक इन इंडिया जैसी नीतियाँ भारत को विश्व पटल पर उभरने व सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी तथा यह लक्ष्य भारत के उद्योग जगत को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। जल–संरक्षण, प्लास्टिक मुफ्त भारत तथा उज्ज्वल योजना आदि पर्यावरण संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक पहल है।

21 वीं शताब्दी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत अपने सामर्थ्य को पहचाने तथा कार्य की प्रगति के उसका प्रयोग करे। अतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता, दुरदृष्टिता तथा सहयोगतात्मकत प्रवृति के कारण भारत अपनी क्षमताओं तथा आकांक्षाओं को पहचान

रहा है। और उनसे प्रेरणा लेकर नित नई ऊंचाइयों को छुने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संदेश समावेशी व सुदृढ़ विकास का सूचक तथा सामाजिक सदभाव की प्रेरणा देता है। जहां विकास प्रत्येक नागरिक के आर्थिक, राजनतिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण का परिचायक होगा।

अतः भारत को **EPI (Every Person is Important)** की संकल्पना के आधार पर कार्य करना होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता होगी तथा अपने–अपने कार्यों व गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण व आवश्यक होगा। सभी की समान सहभागिता ही प्राथमिक रूप से भारत को विकसित कर सकती है। जो न केवल स्वर्णिम भारत की संकल्पना को पूर्ण करेगी, अपितु भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने पर बल दिया जा रहा है, जो मात्र कठिन परिश्रम के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि कठिन परिश्रम कभी थकान नहीं लाता वह तो संतोष लाता है। प्रयास के द्वारा ही विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची
- **प्रधानमंत्री जी का संबोधन, 16 अगस्त 2021, प्रष्ठ– संख्या– 10, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली**
- http://www.thehindu.com/news/national/modi-calls-for-evergreen-revolution/article18510225.ece
- Replaced VIP with Every Person is Important: PM Modi in Mann Ki Baat, May 1, 2017.
- http://icarzcu3.gov.in

5

अभिनव महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई भारत सरकार की 'सुकन्या समृद्धि योजना' (एसएसवाई) को भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को व्यापक और गहरा करने के लिए एकीकृत प्रणाली के रूप में चित्रित किया गया है। एसएसवाई 2015 में प्रारंभ की गई 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' पहल के अभिन्न घटकों में से एक है। मार्च 2018 में, इस नीति को देश के 161 जिलों से बढ़ाकर देश के 640 जिलों में विस्तारित किया गया, जिससे यह एक अखिल भारतीय पहल में परिवर्तित की गई। लिंग अनुपात में सुधार और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस नीति की संरचना निर्धारित की गई है।

यह एक उत्साहजनक संकेत हैं कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी), जिसे प्रत्येक 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, उसमे सुधार हो रहा है। इस प्रकार, हरियाणा में, जन्म के समय लिंगानुपात 2015 में 871 से बढ़कर 2021 में 935 हो गया। राजस्थान के झुंझुनू में, एसआरबी 2014 में 880 से बढ़कर दिसंबर 2017 में 955 हो गया है। सरकार के अनुसार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना को बालिकाओं के प्रति समाज में वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। परंतु वास्तविकता में, इन पहलुओं की सफलता इस बात पर भी महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है कि भारतीय परिवार किस सीमा तक बालिकाओं और सामान्य रूप से महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। या यह पहल किस प्रकार समाज में बालिकाओं व महिलाओं की स्थिति में सुधार कर पा रही है। इसका विचार–विर्मश इस लेख मे सम्मिलित है।

सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएँ

इस योजना की संरचना चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करने के लिए की गई है। जिसमे जब परिवार को लड़की की उच्च शिक्षा या विवाह के पैसे की आवश्यकता होती है, तो सरकार

द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचय और अंतिम निकासी के साथ कोई आयकर नहीं लगता है। सुकन्या योजना के अंतर्गत, एक परिवार को बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में निवासी बालिकाओं के लिए अधिकतम दो बैंक खाते खोलने की अनुमति है, जिसमें डाकघर भी सम्मिलित हैं, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के लिए निवासी बालिकाओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, खाता केवल उनके नाम से खोला जा सकता है और यह केवल बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए खोला जा सकता है। खाता खोलने के पश्चात 14 वर्ष के लिए उसमे पैसा जमा किया जाना चाहिए, किंतु परिपक्वता आय 21 वर्ष के बाद वह बालिका के लिए उपलब्ध हो जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु में आंशिक निकासी की अनुमति है और यदि अंतिम निकासी से पहले बालिका की शादी हो जाती है तो उसे पूर्ण निकासी की अनुमति है।

प्रत्येक बालिका के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है और अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये है। 2018 में प्रचलित 8.1 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा की गई राशि लगभग 8.9 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यह ब्याज दर उपस्थित बाजार दरों से अधिक है। ब्याज दर हालांकि बाजार दरों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। अगर कोई परिवार 14 वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष एक बच्ची के लिए 5000 रुपये खाते में जमा करते है और 21 वर्ष तक खाते को चालू रखते है, तो संचित शेष राशि 4.5 लाख रुपये से अधिक होगी। संबंधित राशि यदि वार्षिक एक लाख रुपये है, तो वह 46 लाख रुपये से अधिक होगी। इस प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना को वित्तीय आत्म–अनुशासन और बचत को विकसित करते हुए अपनी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्न–आय और मध्यम–आय वाले परिवारों की मदद करने के लिए बनाया गया है।

नवंबर 2017 तक, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 12.6 मिलियन खाते खोले गए हैं और 192 बिलियन रुपये जमा किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि नवंबर 2017 तक तीन वर्ष से भी कम समय में प्रति खाता औसत शेष अनुमानतः पंद्रह हजार रुपये था। इसी के साथ, प्रत्येक राज्य के पास एक समान योजना या पूरक योजना प्रारंभ करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार, संघ और राज्य की योजनाओं का संयुक्त प्रभाव व्यापक और गहरा होगा। हालांकि प्रभाव का आकलन करने के लिए संघ और व्यक्तिगत राज्य स्तरों पर कठोर अनुभवजन्य साक्ष्य–आधारित सूक्ष्म अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता होगी। जो शोध का एक विषय हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजनाः प्रभाव एवं सुझाव

उपरोक्त विशेषताएं वर्तमान भारत सरकार की सामाजिक नीति के अनुरूप हैं। सरकार का कार्य है तकनीकी प्लेटफॉर्म सहित सक्षम स्थितियां उत्पन्न करना और सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहयोग के माध्यम से सहायता करना। किन्तु एक परिवार को भी सहायता करने के लिए अपने

स्वयं के कार्यों की दायित्व लेना होगा। जिससे प्रत्येक परिवार की आकांक्षाएँ पूरी हो सके और वें अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। इस संस्कृति को भारत के सामाजिक नीति कार्यक्रमों और वाद–विवादों में भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण और जेंडर बजटिंग के लिए निहितार्थरू उपरोक्त व्यवहार संबंधी पहलुओं के अतिरिक्त, एसएसवाई का एक और निहितार्थ यह है कि बालिकाएँ वित्तीय लागत (एसएसवाई के अंतर्गत भुगतान किए गए ब्याज और उपलब्ध बाजार दरों के मध्य का अंतर) की प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह तब ही होगा जब एक व्यक्तिगत राज्य भी बालिकाओं पर केंद्रित समान या पूरक योजनाओं को प्रारंभ करने की पहल करेगा। इससे सरकार की सामाजिक पहलों के जेंडर बजटिंग प्रभाव में सुधार करने में सहायता मिलेगी। हालाँकि समाज को उपरोक्त प्रकार के व्यवहार परिवर्तन के औचित्य को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है और सुकन्या समृद्धि योजना और समान या पूरक योजनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता है। मीडिया, सामाजिक नीति में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक विश्वास के पदों पर अन्य लोगों का समाज के प्रति विशेष दायित्व है कि वे वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए भारतीय परिवारों द्वारा स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने में सहायता करें।

सामाजिक सुरक्षा के लिए निहितार्थरू भारत में, कई परिवार अपने भविष्य निधि या शेष राशि का उपयोग विभिन्न निजी या सार्वजनिक पेंशन योजनाओं में करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, विवाह के लिए और अस्पताल में भर्ती या अन्य चिकित्सा के प्रकरणों के वित्तपोषण के लिए। इसी प्रकार, सुकन्या समृद्धि योजना शिक्षा और विवाह के वित्तपोषण के लिए सहयोग प्रदान करता है। इसे भारत की एकीकृत प्रणाली–उन्मुख सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक भाग माना जा सकता है। इसका प्रभाव लिंगानुपात में देखा जा सकता है। जो अपने–आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

शिक्षा के लिए निहितार्थरू यह योजना उन मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय परिवारों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, जो अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाने में सक्षम नहीं होते। मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर के सुकन्या समृद्धि योजना की राशि के द्वारा उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती है। जो धन की कमी के कारण वह नहीं कर पाती थी। एक बालिका को शिक्षित करने के उद्देश्य से यह एक उचित पहल है।

बैंकिंग प्रणाली के लिए निहितार्थरू एसएसवाई में बैंकिंग प्रणाली को दीर्घकालिक निधि प्रदान करने की क्षमता है क्योंकि योगदान 14 वर्षों के लिए आवश्यक है और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष

है। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा।

सुझाव

सुकन्या समृद्धि योजना (अन्य एकीकृत योजनाओं के साथ) भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों पर जैसेकि घरेलू व्यवहार व प्रभाव पर कठोर अनुभवजन्य–साक्ष्य आधारित विभिन्न अध्ययनों के लिए एक बहुप्रतीक्षित अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में, एसएसवाई (और अन्य पहलों के लिए) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा बहुत कम और समग्र है। हालाँकि, डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए विशिष्ट योजनाओं या पहलों के विभिन्न संगठनों के लिए प्रासंगिक डेटा उपलब्ध हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से संबंधित डेटा एनालिटिक्स में विशेषज्ञता विकसित करना और ऐसी तकनीकों पर आधारित नीति–उन्मुख अनुसंधान की सुविधा पर तत्काल विचार किया जाना अति आवश्यक है। जैसा कि अन्य क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है जैसे कि राज्यों द्वारा व्यापार करने में सरलता की रैंकिंग, स्वच्छ शहरों की रैंकिंग, एसएसवाई के अंतर्गत राज्यों और जिलों की रैंकिंग प्रारंभ की जा सकती है, जिसके परिणामों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता। इसी के साथ, प्रति राज्य लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण और योजना की सरलता को समझने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। यदि प्रत्येक राज्य के अनुसार लाभार्थियों की संख्या का डेटा उपलब्ध होगा तो सबसे कम लाभार्थी वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना सरल होगा।

कुल मिलाकर, यह योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक उचित पहल है जिसके लाभार्थियों पर एक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। साथ ही, लिंगानुपात की ओर देश को बढ़ाने में सुकन्या समृद्धि योजना की सकारात्मक भूमिका रही है, जिस संदर्भ में हरियाणा व राजस्थान जैसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों के डेटा की विचार–विर्मश किया जा चुका है। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि शोध जगत इस प्रकार की योजनाओ पर विश्लेषण कर सरकार को अपने सुझाव दे जिससे कि भावी समय में सभी त्रुटियों को समाप्त कर अन्य कल्याणकारी नीतियों का लाभ लोगों को मिल सके।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची
- Harini, V. Kameshwari, & Rampal, Prachi. "Financial Inclusion-A Study on Sukanya Smriddhi Yoajana", *IOSR Journal of Business and Management,* 01-03.
- Lamba, Payal, 2018. "Sukanya Samriddhi Yojana: An appraisal", *Asian Journal of Multidimensional Research,* 7:277-281.
- https://transformingindia.mygov.in/scheme/sukanya-samriddhi-yojana/
- https://www.coverfox.com/life-insurance/child-plan/sukanya-samriddhi-yojana/
- https://sbi.co.in/web/personal-banking/investments-deposits/govt-schemes/sukanya-samriddhi-yojana
- https://www.policybazaar.com/life-insurance/child-plans/sbi-sukanya-samriddhi-yojana/

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281